पत्रावली आज पेश हुयी।

अध्यक्ष वकील उपस्थित।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

उस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

बाद मनन एवं अवलोकन यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाये। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा